षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 बुधवार, दिनांक- 23 अगस्त, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.08 बजे पूर्वा० तक

प्रश्नकाल शुरू होते ही माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा सृजन घोटाले पर दिये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए चर्चा कराने की मांग की गयी ।

"आसन से कहा गया कि कार्यस्थगन की सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इसे उठाने का एक समय है और उस समय पर ही उठाया जाना चाहिए । प्रश्नकाल के समय में कोई अन्य बातें होंगी तो फिर माननीय सदस्यों का समय नष्ट होगा ।"

परन्तु माननीय नेता विरोधी दल द्वारा पुनः दिये गये कार्यस्थगन के विषय पर चर्चा की मांग की गयी ।

"आसन से कहा गया कि सदन के अन्दर चर्चा के लिए अन्य कई व्यवस्थायें हैं जिसके तहत सूचना देने पर चर्चा करायी जा सकती है एवं उसपर सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य भी होगी । आसन द्वारा स्पष्ट किया गया कि कल माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी द्वारा भी इस बात को कहा गया था । इसलिए बेहतर होगा कि इसे समय पर उठाया जाय ।"

विपक्ष के माननीय सदस्यगण आपनी माँग को लेकर वेल में आ गये और शोरगुल करने लगे ।

"आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया ।"

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.45 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा "स्थानीय निकाय" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा "भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन स्थानीय निकाय को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(v) माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री कपिलदेव कामत द्वारा बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vi) माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति का 194वाँ एवं 196वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

[2] <u>वित्तीय कार्य</u> :- <u>वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बारी-बारी से अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग को सदन में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमशः सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[3] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

(i) "<u>बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017</u>" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) "<u>बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017</u>" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) "<u>बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017</u>" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) "**बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) "**बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017**" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(vi) "**बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017**" :-

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा पुरःस्थापन के पूर्व विधेयक को स्पष्ट करने हेतु खण्ड-2 के मद 4(1) के (ग), (घ) एवं (ङ) के वाक्यांशों में शब्द 'और' एवं शब्द 'से' के बीच शब्द 'उन्हीं में' अंतःस्थापित करने की सूचना सदन में दी गई जिसपर सदन की सहमति से आसन द्वारा स्वीकृति दी गयी ।

तदुपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[4] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-33 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वा॰ तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-23.08.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।